



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
प्रधान आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
कोच्चि KOCHI

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

फा.सं.॥/39/14/2018 -रा.भा.

तारीख/Date: 18.07.2019

सेवा में/ To

राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य,
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद आयुक्तालय,
कोचिन-18

All the members of the O L I C,
Central Tax & Central Excise
Commissionerate,
Cochin-18.

महोदय/महोदया/ Sir/Madam,

विषय: राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 10.07.2019 को आयोजित तिमाही बैठक का कार्यवृत्त।

Sub: Minutes of the quarterly Meeting of the Official Language Implementation Committee held on 10.07.2019.

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रधान आयुक्त का कार्यालय, कोच्चि-18 की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 10.07.2019 को आयोजित तिमाही बैठक का कार्यवृत्त सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए इस के साथ संलग्न है। सभी संबन्धित अधिकारियों से अनुरोध है कि समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

Kindly find enclosed a copy of the minutes of the quarterly meeting of the Official Language Implementation Committee (OLIC) of the Office of the Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi-18 held on 10.07.2019. All concerned Officers are requested to take necessary action to ensure the compliance of the decision taken by the Committee.

भवदीया/Yours faithfully,


(राजेश्वरी आर.नायर/ RAJESWARI R.NAIR)

संयुक्त आयुक्त(का.व सत.)/ JOINT COMMISSIONER(P&V)

प्रतिलिपि /Copy to:

1. महा निदेशक, निष्पादन प्रबंधन महा निदेशालय, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, इन्द्र प्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली ।
The Director General, Directorate Performance Management, Customs, Central Excise & Service Tax, "D" Block, I P Estate, New Delhi - 2.
2. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क। केन्द्रीय राजस्व भवन, आई.एस.प्रेस रोड, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र ।
The Chief Commissioner of Central Tax & Central Excise & Customs, C.R.Building, I.S.Press Road, Thiruvananthapuram Zone.
3. आयुक्त के निजी सचिव/ सभी अनुभाग प्रमुख/ मण्डल कार्यालय
P.S to Commissioner/ All Section Heads/ Divisions
4. सभी केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त
All the Commissioner's of Central Tax & Central Excise.



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING



आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, प्रधान आयुक्त का कार्यालय, कोच्चि की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 10.07.2019 को आयोजित तिमाही बैठक का कार्यवृत्त।
Minutes of the quarterly meeting of the Official Language Implementation Committee of the Office of the Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi held on 10.07.2019

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, प्रधान आयुक्त का कार्यालय, कोच्चि की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 10.07.2019 को अपराह्न 03.00 बजे केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि प्रधान आयुक्त श्री के.आर. उदय भास्कर की अध्यक्षता में आयुक्तालय के सम्मलेन कक्ष में आयोजित की गई।

The quarterly meeting of the Official Language Implementation Committee of the Office of the Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi was convened on 10.07.2019 at 03.00 pm under the Chairmanship of Shri K.R. Uday Bhaskar, Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi in the Conference Hall of the Commissionerate. The following members attended the meeting.

क्र.सं S.No.	अधिकारी का नाम(सर्वश्री/श्रीमती) Name of the Officer(S/Shri/Smt)	पदनाम Designation	अनुभाग /मंडल Section/Division
1	डॉ टी. टिजु Dr. T. Tiju	अपर आयुक्त Addl. Commissioner	मुख्यालय Hqrs.
2	राजेश्वरी आर. नायर Rajeswari R.Nair	संयुक्त आयुक्त[का.व सत.] Joint Commissioner[P&V]	मुख्यालय Hqrs.
3	डॉ अजितेश राधाकृष्णन Dr. Ajitesh Radhakrishnan	संयुक्त आयुक्त Joint Commissioner	मुख्यालय Hqrs.

4	सुरेश बाबु पी. जी. Suresh Babu P.G.	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	का. व सत., मु. P&V Hqrs.
5	जॉर्ज जोसफ George Joseph	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	निवारक, मु. Preventive, Hqrs.
6	जिम्मी जोसफ Jimmi Joseph	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	मु.ले अधिकारी / लेखा परीक्षा
7	उमा देवी बी. Uma Devi B.	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	न्यायनिर्णयन/ ई.डी.पी. Adjudication/E.D. P.
8	के. शक्तिधरन K. Shaktidharan	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	विधिक /सूचना अधिकार/प्रशिक्षण Legal/RTI/Training
9	शालिनी सुष्मिता Shalini Sushmita	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	आलुवा मंडल Aluva Dvsn.
10	जयकान्त सी वी Jayakant C.V.	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	पेरुम्बावूर मंडल Perumbavoor Dvsn
11	अंजना एस. कुमार Anjana S.Kumar	सहायक आयुक्त Assistant Commissioner	तकनीकी, मु. Technical,Hqrs.
12	माइकल टी.एच. Michael T.H.	अधीक्षक Superintendent	इडुक्की मंडल Idukki Dvsn
13	श्रीमती रोसेलिन जोस थॉमस कोरुत Smt.Rosalind Jose Thomas Koruthu	कनिष्ठ अनुवादक Junior Translator	मुख्यालय Hqrs.

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया और बैठक आरंभ की।

The Chairman welcomed all the members of the Committee and commenced the meeting.

I पिछली बैठक के निर्णयों पर कार्रवाई / Action taken on the decisions of the last meeting.

- a. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है। Documents coming under section 3(3) of OL Act, 1963 should be issued only in bilingual form:

समिति को सूचित किया गया कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन हो रहा है। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया है कि भविष्य में भी इसे सख्ती से पालन किया जाए। पिछली तिमाही में 34 कागजात राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए गए और उन सभी कागजातों को हिन्दी में भी जारी किए गए।

The Committee was informed that section 3(3) of OL Act, 1963 is being followed. The Chairman directed that the same may be strictly followed in future too. During the previous quarter 34 papers were issued under section 3(3) of OL Act, 1963 and all those papers were issued in Hindi too.

कार्रवाई: प्रशासनिक अधिकारी(मु.), प्रशासन, तकनीकी, न्यायनिर्णयन, सतर्कता अनुभागों के अधीक्षक, जन संपर्क अधिकारी, कनिष्ठ अनुवादक

Action: AO(Hqrs.), Supdt.s of Admn., Technical, Adjn.,
Vigilance sections, PRO, JT

- b. आयुक्तालय का नाम पट्ट - त्रिभाषी रूप में बनाना तथा हिंदी शब्द अर्थ सहित प्रदर्शित करने हेतु एक सफ़ेद बोर्ड खरीदना / **Commissionerate's name board to be made in trilingual form and Purchase of a white board for displaying Hindi word with meaning.**

समिति को सूचित किया गया कि हमारे आयुक्तालय के नाम पट्ट को शीघ्र ही त्रिभाषी रूप में बनाया जाएगा और हिंदी शब्द अर्थ सहित हर दिन प्रदर्शित करने हेतु एक सफ़ेद बोर्ड खरीदी गयी है।

The Committee was informed that Commissionerate's name board will be made into trilingual form soon and a white board was purchased for displaying Hindi word with meaning daily.

कार्रवाई:जन संपर्क अधिकारी, केयर टेकर एकक, राजभाषा अनुभाग/ Action: PRO, Caretaker Unit,OL Hindi Section

- c. विभागीय पत्रिका "कैरली 2018-19" के लिए लेख एकत्र करना / **Collecting articles for departmental magazine "Kairali-2018-19".**

समिति को सूचित किया गया कि कैरली पत्रिका के लिए केवल 3 रचनाएँ अब तक प्राप्त हुई हैं। अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों से कैरली पत्रिका के लिए रचनाएँ देने को कहा।

The Committee was informed that only three articles were received until now for the Kairali magazine. Chairman directed all members to give articles for the Kairali magazine.

कार्रवाई:सभी अनुभाग/मंडल Action: All Sections/Divisions

- d. राजस्व आसूचना निदेशालय कार्य / **Work related to Directorate of Revenue Intelligence(DRI).**

समिति को सूचित किया गया कि पिछली तिमाही के दौरान आयुक्तालय के राजभाषा हिंदी अनुभाग ने राजस्व आसूचना निदेशालय, कण्णूर क्षेत्रीय यूनिट के कार्य भी किया था।

The Committee was informed that OL Hindi Section of the Commissionerate was also utilised for translating certain documents of the Kannur regional unit of DRI during the previous Quarter.

- e. नासिन, नई दिल्ली में प्रशिक्षण / **Training at NACIN, New Delhi**

समिति को सूचित किया गया कि पिछली तिमाही के दौरान आयुक्तालय के राजभाषा हिंदी अनुभाग में कार्यरत अनुवादक को नासिन, नई दिल्ली से दो सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था। यूनिट के कार्य भी किया था।

The Committee was informed that the Translator working in the OL Hindi section of the Commissionerate received two weeks training from NACIN, New Delhi during the previous quarter.

- II तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा / **Review of the quarterly report :-**

समिति को आयुक्तालय की हिंदी टिप्पणियों की प्रतिशतता एवं तीनों क्षेत्रों में जाने वाले हिन्दी पत्रों की प्रतिशतता सूचित की गई।

वे इस प्रकार हैं:-

पिछली तिमाही (2019 जनवरी/फरवरी/मार्च)में हिंदी टिप्पणियों की प्रतिशतता - 31.2%
वर्तमान तिमाही(2019 अप्रैल/मई/जून)में हिंदी टिप्पणियों की प्रतिशतता - 45.1%

यथाक्रम दिनांक 31.03.2019,30.06.2019 को समाप्त होने वाली तिमाहियों में क -52.08%-53.03%,ख-100%- पत्रों की संख्या -शून्य, ग -52.6%-50.94% ।

The Committee was informed percentage of Hindi notings and percentage of Hindi correspondence to three regions:-It is as follows :-

Percentage of Hindi notings in previous quarter(Jan.,Feb.,Mar.2019)- 31.2%

Percentage of Hindi notings in current quarter(April,May,June2019)- 45.1%

A-52.08%-53.03%,B-100%- no. of letters-nil, C-52.6%- 50.94% for the quarters ending on 31.03.2019,30.06.2019 respectively.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वे समीक्षा कक्ष के सभी फाइलों में हिंदी टिप्पणियाँ लिखेंगे । इसके अलावा आगे उन्होंने निवारक, समीक्षा, विधिक एवं न्यायनिर्णयन अनुभागों में सामान्य टेम्पलेट्स(जैसे कि आदेश की संख्या, प्राप्ति की तिथि आदि सूचित करने के लिए) बनाने का निदेश भी दिया ।

The Chairman told that he will write Hindi notes in all files of Review section. He further directed to make common templates in Preventive, Review, Legal and Adjudication sections (for eg. showing the no., date of receipt of the order etc)

कार्रवाई:सभी अनुभाग/मंडल Action: All Sections/Divisions

III विविध/Miscellaneous :-

अगली तिमाही के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम/ Proposed programme for the next Quarter:-

a. राजभाषा नीति पर कार्यशाला | / Workshop on Official Language Policy

कार्रवाई:राजभाषा,ई डी पी /प्रशिक्षण अनुभाग/ Action: OL Hindi, EDP, Training Sections

b. Publication of Rajbhasha Sahayika for Thiruvananthapuram Zone

कार्रवाई:राजभाषा,ई डी पी / जन संपर्क अधिकारी, केयर टेकर एकक/ Action: OL Hindi, EDP, PRO, Caretaker Unit

c. भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मानक वर्तनी पर जारी पुस्तक की खरीदी /Purchase of Book published by BIS regarding Standard Terminology

कार्रवाई:राजभाषा/ Action: OL Hindi

d. राजभाषा मासिक रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करना/Submission of Official Language Monthly Report on time :

हिंदी अनुवादक ने समिति के सभी सदस्यों से दरखास्त की कि अपने अपने अनुभाग /विभाग की राजभाषा मासिक रिपोर्ट समय पर ही प्रस्तुत करने की कृपा करें । अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों से कहा कि सभी सदस्यों द्वारा इसे सख्ती से पालन किया जाए ।

The Hindi Translator requested all members to kindly submit the Official Language Monthly report on time. The Chairman told that all members should follow it strictly.

कार्रवाई:सभी अनुभाग/मंडल Action: All Sections/Divisions

e. हिंदी पखवाडा समारोह -2019 / Hindi Fortnight Celebrations -2019

कार्रवाई:जन संपर्क अधिकारी, केयर टेकर एकक, राजभाषा अनुभाग/ Action: PRO, Caretaker Unit,OL Hindi Section

सदस्यों से अन्य कोई सुझाव न होने पर अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक अपराह्न 04.00 बजे समाप्त हुई ।

As no further suggestions came from the members the meeting ended at 04.00 pm with vote of thanks to the Chair.

Rajeswari

(राजेश्वरी आर.नायर/ RAJESWARI R.NAIR)

संयुक्त आयुक्त(का.व सत.)/ JOINT COMMISSIONER(P&V)